



सत्यमेव जयते

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, बंगलुरु-1, बंगलुरु

Office of the Chief Commissioner of Income tax, Bengaluru-1,
Bengaluru

केन्द्रीय राजस्व भवन, क्वींस रोड, बंगलुरु - 560 001

C.R. Buildings, Queen's Road, Bengaluru - 560 001.

Tele: 080-22864812

email: Bangalore.ccit1@incometax.gov.in

F.No.17(2)/MHPL-K/CCIT/BNG-1/2022-23

Dated: 01.09.2022

**PROCEEDINGS OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
BENGALURU-1, BENGALURU.**

PRASHANT BHUSHAN, IRS
Chief Commissioner of Income-tax,
Bengaluru-1, Bengaluru.

Sub: Approval of Hospital u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961 in
the case of **M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd., (PAN:
AACCC2943F)**, for its Unit located at at **IB 193, Sector-III,
Saltlake City, Kolkata-700091.** The - Reg.

Ref: Assessee's application dated 16.07.2022

ORDER UNDER SECTION 17(2) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd., filed an application dated 16.07.2022
seeking approval u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961, for its unit **located at IB
193, Sector-III, Saltlake City, Kolkata-700091.**

2. The Deputy Commissioner of Income-tax, Circle 2(2)(1), Bengaluru has
conducted necessary enquiries & inspections. The report and the enclosures were
considered.

2.1 The assessee, **M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd.,** is running a hospital and
it is seen from the details placed before me that the said hospital satisfies the
conditions as specified in Section 17(2) of the Income-tax Act, 1961.

2.2 In exercise of the powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the
proviso to sub section (2) of Section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule
3A of the Income-tax Rules, 1962 and having regard to guidelines prescribed
therein, I, the Chief Commissioner of Income-tax, Bengaluru-1, Bengaluru, hereby
approve **M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd., (PAN: AACCC2943F), for its Unit
located at IB 193, Sector-III, Saltlake City, Kolkata-700091,** for the purpose of
said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-section (2) of section 17 of
the Income-tax Act, 1961.

2.3. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure
actually incurred by an employee on his medical treatment or of any member of his
family at **M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd** for its unit **M/s. Manipal Hospitals**



; 2 ;

Pvt. Ltd., (PAN: AACCC2943F) located at IB 193, Sector-III, Saltlake City, Kolkata-700091, in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules, 1962, shall not be treated as a prerequisite for the purposes of sections 15, 16 and 17 of the Income-tax Act, 1961 and such sum shall be exempt from Income-tax in the hands of the employee.

Sub-Rule Diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2)

No.

- a) Cancer
- b) Tuberculosis
- c) Acquired Immunity Deficiency Syndrome (AIDS)
- d) Disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation.
- e) Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation
- f) Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment
- g) Gynaecological or Obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention
- h) Ailment or disease of the organs mentioned in point 4, requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days
- i) Gynaecological or Obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
- j) Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days
- m) Anaphylectic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income-tax Act, 1961 in respect of such sum.

3. The Hospital shall issue a certificate to the employee who avails the medical facility specifying the disease or ailment for which medical treatment was given and the amount of expenditure incurred in payment to the Hospital and for medicines along with the relevant bills.

4. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub section (2) of sec. 17 of the Income-tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income-tax, Bengaluru-1, or any other statutory authority under the Government for any other purpose.

5. The approval is effective from the date of this order and shall remain in force until and unless withdrawn/cancelled. This approval is subject to Hospital's continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962, necessary for such approval and such modifications



.....3/-

as may be necessitated by an amendment to the provisions governing the approval under the Income-tax Act, 1961.

6. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-

- a) This approval is not transferable,
- b) The hospital shall be open for inspection by such officers of the Income-tax Department as are duly authorised in this behalf at all reasonable times,
- c) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub clause (viii) of sub section (2) to section 17 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the Conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.

7. This approval is subject to the applicant further furnishing copies of renewals obtained from the undermentioned local authorities on expiry of the validity period.

- i) Copy of Licence under the West Bengal Clinical Establishments (R, R&T) Act, 2017, dated 13.08.2021 **valid till 20.05.2023** in the name of M/s. Columbia Asia Hospital (A Unit of Navketan Nursing Home).
- ii) Copy of permanent certificate of enlistment from the Bidhan Nagar Municipal Corporation, Bidhan Nagar, North 24 Paraganas, Kolkata dated 10.12.2021 and the certificate is **in force till 09.12.2024**(in lieu of Trade License)
- iii) Copy of consent to operation from West Bengal Pollution Control Board dated 19.07.2022 **valid till 30.05.2027**

Hindi Version follows.



Sd/-

(PRASHANT BHUSHAN)

मुख्य आयकर आयुक्त/Chief Commissioner of Income-tax,

बैंगलूरु - 1, बैंगलूरु Bengaluru-1, Bengaluru

To

M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd.,

**Regd Office: No.98/2, Rustom Bagh, Off: HAL Airport Road,
Bengaluru-560 017**

..... 4/-

Copy for information to:

1. The Joint Secretary, CBDT, New Delhi,
2. The Pr.Chief Commissioner of Income tax, Karnataka & Goa Region, Bengaluru,
3. The Director General of Income tax (Inv.), Karnataka & Goa Region, Bengaluru
4. The Chief Commissioner of Income tax, TDS, International Taxation-South Zone, Bengaluru
5. All the Pr. Chief Commissioners of Income tax in India,
6. All the Chief Commissioners of Income tax in India
7. The Pr.Commissioner of Income tax, Central/Intl.Taxation /DTRTI / Audit/CO/ITAT/Judicial/Admn. & CO/Exemption/Transfer Pricing/ I & CI/ CPC, Bengaluru.
8. The Pr.Commissioner of Income tax, Bangalore-1/2/3, Hubballi, Panaji
9. The Director of Income tax (Inv.), Bengaluru.



A. Bhuvaneshwari

(भुवनेश्वरी एस/BHUVANESHWARI S)

आयकरउप आयुक्त(मुख्या.)/Dy. Commissioner of Income-tax (HQ),

कृतेमुख्यआयकरआयुक्त/ for Chief Commissioner of Income-tax

बेंगलूरु- 1, बेंगलूरु /Bengaluru-1, Bengaluru



मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, बेंगलूरु-1, बेंगलूरु
Office of the Chief Commissioner of Income tax, Bengaluru-1, Bengaluru
केन्द्रीय राजस्व भवन, क्वींस रोड, बेंगलूरु - 560 001
C.R. Buildings, Queen's Road, Bengaluru - 560 001.
Tele: 080-22864218 FAX: 080-22860459

फा.सं.17(2)/MHPL-K/CCIT/BNG-1/2022-23

दिनांक: 01.09.2022

मुख्य आयकर आयुक्त बेंगलूरु-1, बेंगलूरु की कार्यवाही

श्री प्रशांत भूषण, भा.रा.से.

मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूरु-1, बेंगलूरु

विषय:- आईबी 193 सेक्टर-III, साल्टलेक सिटी कोलकाता 700091 के लिए मेसर्स मणिपाल अस्पताल प्र.लि.(पैन-AACCC2943F) के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अस्पताल के अनुमोदन के संबंध में।

संदर्भ:- निर्धारिती का दिनांक 16.07.2022 का आवेदन।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

मेसर्स मणिपाल अस्पताल प्र.लि.ने दिनांक 16.07.2022 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अपनी इकाई आईबी 193 सेक्टर-III, साल्टलेक सिटी कोलकाता 700091, के अनुमोदन के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आयकर उप आयुक्त, सर्कल 2(2)(1), बेंगलूरु, ने आवश्यक पूछताछ और निरीक्षण किया। रिपोर्ट और संलग्नकों पर विचार किया गया है।

2.1. निर्धारिती, मेसर्स मणिपाल अस्पताल प्र.लि., एक अस्पताल चला रहे हैं और मेरे समक्ष प्रस्तुत विवरण से ज्ञात होता है कि अस्पताल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

2.2. आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3A के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उपखण्ड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मैं मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूरु-1, मेसर्स मणिपाल अस्पताल प्र.लि., (पैन-AACCC2943F) को उनकी इकाई आईबी 193 सेक्टर-III, साल्टलेक सिटी कोलकाता 700091 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक के खण्ड (ii) के उप खण्ड (b) के उक्त उद्देश्य के लिए स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

2.3.तदनुसार, मेसर्स मणिपाल अस्पताल प्र.लि (पैन-AACCC2943F) आईबी 193 सेक्टर-III, साल्टलेक सिटी कोलकाता 700091 में स्थित उसकी इकाई के लिए मेसर्स मणिपाल अस्पताल प्र.लि, में एक नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी या उनके परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सीय उपचार के लिए वास्तव में व्यय की गयी कोई राशि आयकर नियमावली 1962 के नियम 3A(2) में विनिर्दिष्ट किसी रोग या बीमारी के लिए भुगतान की गयी हो तो उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15,16,17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि के रूप में नहीं माना जायेगा तथा ऐसी राशि पर कर्मचारी के लिए आयकरसेमुक्त होगी।

उपनियम सं.	नियम 3ए (2) के अधीन निर्धारित बीमारी अथवा रोग
(a)	कैंसर
(b)	टी.बी.
(c)	एड्स
(d)	हृदय, रक्त, लसिका ग्रंथि, मज्जा, स्वसन प्रणाली, केंद्रीय स्नायु तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, अंतः श्रावी ग्रंथियों या त्वचा आदि से संबंधित रोग या बीमारी, जहाँ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो।
(e)	आँख, कान, नाक या गला से संबंधित रोग या बीमारी जहाँ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो।
(f)	कंकाल तंत्र के किसी भी भाग में अस्थि भंग या कशेरुक की अव्यवस्था जिसमें शल्य चिकित्सा या हड्डी संबंधी उपचार की आवश्यकता हो।
(g)	स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति रोग या बीमारी जहाँ शल्य चिकित्सा, सिजेरियन आपरेशन, लैप्रोस्कोपिक इंटरवेंसन की आवश्यकता हो।
(h)	पंक्ति (डी) मे वर्णित अंगों से संबंधित रोगो या बीमारियों के उपचार हेतु लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो ।
(i)	स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति रोग या बीमारी जिसके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो ।
(j)	जलने की वजह से हुए घाव, जिसके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो ।
(m)	एनाफिलेक्टिक शॉक जिसमें इंसुलीन शॉक भी सामिल है, दवाओं का रियेक्शन , एलर्जी के रोग जिनके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो ।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत नियोक्ता इन राशियों के संदर्भ में कर कटौती हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अस्पताल, उपचार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को संलग्न प्रोफार्मा में प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिसमें रोग एवं बीमारी, जिसके लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त किया गया हो एवं संगत बिलों के साथ अस्पताल को किये गये भुगतान एवं दवाइयों के लिए वहन किये गये खर्च की रकम का उल्लेख हो।

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए है एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार या मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूर-1, बेंगलूर या सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. यह अनुमोदन, इस आदेश के दिनांक से प्रभावी है एवं इसे वापस लेने या रद्द करने तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए) में निर्दिष्ट सांविधिक शर्तों के साथ सतत अनुपालन पर निर्भर है और ऐसे परिवर्तन जो आवश्यकतानुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी संशोधन की अपेक्षा रखता है।

6. इस अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-

(क) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।

(ख) विधिवत्प्राधिकृत किये गये आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समयों पर खुलार होगा।

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अस्पताल यदि कानून द्वारा निर्धारित किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है तो अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य को अनुमोदन जारी करने वाले प्राधिकारी के पास तुरंत सूचित करें।

7. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा वैधता अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त नवीनीकरण की प्रतियों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

i) पश्चिम बंगाल क्लिनिकल प्रतिष्ठान (आर, आर&टी) अधिनियम, 2017 के तहत दिनांक 13.08.2021 के लाइसेंस की प्रति जो कि मेसर्स कोलम्बिया एशिया अस्पताल के नाम पर (नवकेतन नर्सिंग होम का यूनिट) दिनांक 20.05.2023 तक वैध है।

ii) दिनांक 10.12.2021 की बिधान नगर निगम, बिधान नगर, 24 उत्तर परगना, कोलकाता से सूचिवद्धता के स्थायी प्रमाण पत्र की प्रति और 09.12.2024 तक लागू प्रमाण पत्र (व्यापार लाइसेंस के स्थान पर)।

iii) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 19.07.2022 से संचालन के लिए अनुमति की प्रति जो कि दिनांक 30.05.2027 तक वैध है।

हिन्दी संस्करण इस प्रकार है।

हस्ता./

(प्रशांत भूषण, भा.रा.से.)

मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूरु-1, बेंगलूरु,

सेवा में,

मेसर्स मणिपाल हॉस्पिटलप्र.लि

पंजीकृत कार्यालय: न. 98/2, रुस्तम बाग, ऑफ एचएएल एयरपोर्ट रोड
बेंगलूरु-560017

सूचनार्थप्रति:

1. संयुक्त सचिव, केन्द्रीयप्रत्यक्षकरबोर्ड, नईदिल्ली।
2. प्रधान मुख्यआयकरआयुक्त, कर्नाटक एवं गोवा क्षेत्र, बेंगलूरु
3. आयकरमहानिदेशक(अन्वे.), कर्नाटक एवं गोवा क्षेत्र, बेंगलूरु
4. मुख्य आयकर आयुक्त-2/टीडीएस/पणजी/अंतरराष्ट्रीय कराधान-दक्षिण क्षेत्र, बेंगलूरु
5. भारतकेसभी प्रधान मुख्यआयकरआयुक्त
6. भारतकेसभीमुख्यआयकरआयुक्त
7. प्रधान/आयकरआयुक्त-केन्द्रीय/एल.टी.यू./अंतरराष्ट्रीय
कराधान/डीटीआरटीआई/ऑडिट/कं.प्र./आइटीएटी/न्यायिक/प्रशा. एवं कं.प्र./ /ट्रूट/अंत.मूल्यन/आसूचना एवं
आ.अ./सीपीसी, बेंगलूरु।
8. प्रधान आयकर आयुक्त, राजकोट -1, आयकर भवन, 2nd फ्लोर, रेस कोर्से रिंग रोड, राजकोट -360001
8. प्रधान आयकरआयुक्त-1/2/3/हुबल्ली/पणजी।
9. आयकरनिदेशक(अन्वे.), बेंगलूरु।

(भुवनेश्वरी एस)

आयकर उप आयुक्त (मुख्या.),

कृते मुख्य आयकर आयुक्त,

बेंगलूरु-1, बेंगलूरु